प्रेषक: जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मेरठ।

सेवा में,

प्रबन्धक,
सरस्वती शिशु मन्दिर
पाकेट 4 बी E-2 शताब्दी नगर मेरठ।

पत्रांक/ आर0/ 248-49 /2002-03 दिनांक 7-1-2003

विषय: प्राईमरी स्तर की नवीन अस्थायी मान्यता प्रदान करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जिला मान्यता समिति की बैठक दिनांक 7-1-03 में लिये गये निर्णय के अनुसार राजाज्ञा संख्या 1873 /15-6-98-18(एस)(7) /89 लखनऊ दिनांक 10 सितम्बर 1998 के अनुसार आपके विद्यालय को प्राईमरी स्तर की नवीन अस्थायी मान्यता सत्र 2002-03 से 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान की जाती है। उक्त पांच वर्ष की अवधि के भीतर यदि आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार स्थाई मान्यता प्राप्त नहीं की गयी तो आपके विद्यालय को प्रदत्त अस्थाई मान्यता स्वत: समाप्त हो जायेगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त आपको शासन/ विभागीय आदेशों एवं निर्देशों का अक्षरस पालन करना होगा। यदि शासन / विभागीय आदेशों का अनुपालन करने में आपके द्वारा कोई चूक की गयी तो भी आपके विद्यालय को प्रदत्त अस्थायी मान्यता समाप्त करने का अधिकार समिति को सुरक्षित होगा।

भवदीय

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी

पृ0स0/ आर0/ /2002-3 दिनांक तद्।

प्रतिलिपि निम्नांकित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/ नगर शिक्षा अधिकारी/ सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी मेरठ जनपद।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मेरठ